

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्राक : डी/०२ / मु०अ० / का०वि०प्रा० / 2026-27

दिनांक : 17/04/2026

ई-निविदा

कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकृत/अपंजीकृत फर्मों से निम्नलिखित कार्यो हेतु टेण्डरिंग के माध्यम से
ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	बी०ओ०क्यू० धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा मूल्य जी०एस०टी० सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी विड/ निविदा खोलने की तिथि एवं समय	वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय	श्रेणी/ जोन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मैनावती मार्ग से बैराज रोड को लिंक किये जाने हेतु दो नवीन मार्ग एवं एक मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य।	1838.07	36.76	11800.00	18 माह	18.05.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक	19.05.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे	तकनीकी विड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	ए (सिविल)
2	पनकी क्षेत्र में भाटिया होटल के निकट तिराहे से पनकी धाम स्टेशन तक अवशेष मार्ग का हनुमान मंदिर से पनकी पड़ाव रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क का सुदृढीकरण एवं माडल रोड के रूप में विकास कार्य।	2258.30	45.17	11800.00	18 माह	18.05.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक	19.05.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे	तकनीकी विड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	ए (सिविल)
3	न्यू कानपुर सिटी योजना में 30 मी० मास्टर प्लान रोड का निर्माण कार्य।	1622.72	32.46	11800.00	18 माह	18.05.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक	19.05.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे	तकनीकी विड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	ए (सिविल)
4	पनकी क्षेत्र में पावर प्लान्ट से कौम्रिज चौराहे तक 3.00 कि०मी० मार्ग को माडल रोड के रूप में विकास कार्य।	1002.20	20.05	11800.00	12 माह	18.05.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक	19.05.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे	तकनीकी विड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	ए (सिविल)

नियम व शर्तें :-

- क्र०सं०-1,2,3 व 4 पर उल्लिखित कार्य की निविदा टू-बिड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) पर प्राप्त की जायेगी।
- क्र०सं०-1,2,3 व 4 पर उल्लिखित कार्य हेतु उ०प्र० के समस्त विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास एवं विकास परिषद में पंजीकृत 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार (अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत) भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे, प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति की स्थिति में नियमानुसार कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- क्र०सं०-1,2,3 व 4 पर उल्लिखित कार्य हेतु निविदाएं ऑन लाइन डालने हेतु निविदादाताओं के पास उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० लखनऊ अथवा कन्ट्रोलर आफ सर्टीफाइंग अथारिटीज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सर्टीफाइंग अथारिटीज या उनके रजिस्ट्रिंग अथारिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट होना अनिवार्य है।
- क्र०सं०-1,2,3 व 4 पर उल्लिखित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।
- कॉलम-4 में अंकित धरोहर धनराशि व कॉलम-5 में अंकित निविदा मूल्य को आर०टी०जी०एस० / एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से प्राधिकरण के खाता संख्या 100037449266 आई.एफ.एस.सी. कोड-आई.एन.डी.बी. 0000041 इण्डसट्रिज बैंक, शाखा स्वरूप नगर, कानपुर में निविदा डालने से पूर्व जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- क्र०सं०-1,2,3 व 4 पर उल्लिखित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य जमा कराये जाने सम्बन्धी यूटीआर की स्कैन्ड प्रति सम्बन्धित बैंक द्वारा सत्यापित कराते हुए अपलोड करना अनिवार्य है।

२

7. निविदा खोलने के दिन अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
8. निविदादाता द्वारा आगणित दरों से निम्न निविदा डालने की स्थिति में परफारमेन्स गारन्टी एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में निम्न नियम व शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व विभाग में जमा करनी होगी, जो वित्त नियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी।

(क) आगणन दर से 10 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

- यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफारमेन्स आंकलित परफारमेन्स गारण्टी देय होगी, जो वित्त नियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी। यह धनराशि अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व विभाग में जमा करनी होगी।

(ख) आगणन दर से 10 प्रतिशत से अधिक व 15 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत से अधिक व 15 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफारमेन्स गारण्टी का 02 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड की अवधि 02 वर्ष होगी तथा परफारमेन्स गारन्टी तालिका अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

क्रम सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफारमेन्स गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	20 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	30 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

(ग) आगणन दर से 15 प्रतिशत से अधिक व 20 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 15 प्रतिशत से अधिक व 20 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफारमेन्स गारण्टी का 02 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड की अवधि 03 वर्ष होगी तथा परफारमेन्स गारन्टी तालिका अनुसार अवमुक्त की जायेगी।


क्रम सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफारमेन्स गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	20 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	20 प्रतिशत
4.	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत


(घ) आगणन दर से 20 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा डाले जाने पर।


यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 20 प्रतिशत से अधिक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफारमेन्स गारण्टी का 03 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड की अवधि 05 वर्ष होगी तथा परफारमेन्स गारन्टी तालिका अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

क्रम सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफार्मेंश गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	05 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	10 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
4.	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
5.	अन्तिम भुगतान के पश्चात चतुर्थ वर्ष	निल	15 प्रतिशत
6.	अन्तिम भुगतान के पश्चात पंचम वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत


9. कार्यों पर जी०एस०टी० का भुगतान तथा अन्य करों की कटौती तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन पृथक से अनुमन्य होगा।
10. निविदा सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा अतिरिक्त सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापित प्रकाशित नहीं की जायेगी।
11. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।


प्र० अधि० अभि० (जोन-1)


प्र० अधि० अभि० (जोन-2)


17-4-2016
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (कम्प्यूटर) को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य अभियन्ता